

सेवा में

CEO	श्रीमान
OS	
DI	08 MAR 2017
DIARY No.	2521

~~उपरोक्त~~ उच्चिय जन सूचना कार्यकारी

द्वारा जारी किया गया

Subject -> सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न सूचना देने के सम्बन्ध में

महोदय

① - उसी अपने मकान का - 30A। चार 2 एड  
द्वारा जारी किया - 1 का करे का प्रिंट शी  
- यन्त्रणा के नाम के हैं। कि वही -

→ 2011 से - 2014 तक  
2014 से - 2017 के इन्फॉर्मेशन की  
मकल देने की उपा करी।

संलग्न -

① - पौस्टल कार्ड का -  
856911

Dr. Shanti

for n.a. 1/3

15/3/17

उपरोक्त

लक्ष्मी नारायण कुं  
लक्ष्मी नारायण कुं  
जोड़ कर लक्ष्मी कुं का - 30A।  
नारायण कुं चार 2 एड जारी किया

ईमेल: [ceoagra@yahoo.com](mailto:ceoagra@yahoo.com)  
वेबसाइट: [www.cbagra.org.in](http://www.cbagra.org.in)  
दूरभाष: 0562-2227275, 2227379  
फैक्स: 0562-2227380




सं०-68 / आर.टी.आई-64 / सी.बी.ए. / 2017 / 485  
कार्यालय छावनी परिषद  
114 फतेहपुर सीकरी रोड़  
आगरा - 282001  
दिनांक 14 मार्च, 2017

सेवा में,

श्री ~~लक्ष्मी~~ लक्ष्मी नरायन दुबे  
निवासी - 30ए/1, चार रहट,  
बालूगंज, आगरा छावनी।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जायरी संख्या- 2521 दिनांक 06.03.2017  
व आवेदन संख्या : 64 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भित पत्र दिनांक 09.03.2017 में आपके द्वारा वॉछित मकान संख्या- 30ए/1 चाररहट, बालूगंज, आगरा छावनी से सम्बन्धित असिस्मेन्ट की की प्रमाणित प्रति आप कार्यालय से इस पत्र की प्राप्ती के सात दिन के अन्दर फीस जमा कराकर प्राप्त कर सकते है।

  
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी  
छावनी परिषद, आगरा  
(डा० अशोक कुमार शर्मा)

*By Post*